

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक0प्र0क0-443 / 14
संस्था0दि0 21 / 07 / 14
फाईलनं. 233504000502014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

:- विरुद्ध :-

राजेश पिता मनोहरी, उम्र 24 वर्ष,
 जाति गौली, पेशा-कृषि, नि0ग्राम डोडावानी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 23 / 08 / 2016 को घोषित)

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 के तहत अभियोग है कि दिनांक 06.07.14 की रात 21:00 बजे फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया, आपने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा- 506 भाग-2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप थे जिनसे उन्हें दिनांक 23 / 08 / 16 को फरियादी श्यामवती के द्वारा किए गए राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

3- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम डोडावानी रहता है। मजदूरी काम करती है कि वह उसके बच्चे पति के साथ खाने कमाने भोपाल तरफ चली गई थी। दिनांक 06 / 07 / 14 को शाम करीब 7 बजे वापस डोडावानी आकर उसके घर की सफाई कर रही थी, कि करीब 9 बजे रात्रि में उसके घर के अंदर उसके पडोस का राजेश यादव अंधेरे में आकर खड़ा हो गया है, वह बोला कौन खड़ा है, तो राजेश यादव ने उसे एक से पकड़ लिया और बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा एवं चिल्लाने लगी तो मुंह दबा दिया, तब तक उसका लडका अभिनाथ दौडकर आया चिल्लाने लगा, तो राजेश यादव उसे छोडकर भागने लगा उसके घर में जल रहा दीपक में देखा तो उसके पडोस का राजेश यादव ही था। राजेश बोला की किसी को बताया या रिपोर्ट कि तो जान से खतम कर दूंगा। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 512 / 14 भा.द.सं धारा- 454, 356 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना

में लिया गया। दिनांक 07/07/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- "क्या आपने दिनांक 06.07.14 की रात 21:00 बजे फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया?"

2- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7- सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8- अभियोजन साक्षी (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना लगभग 2 साल पहले की शाम के 9 बजे रात्रि की है। उसका और आरोपी के बीच में गाली गलौच धक्का मुक्की हुई थी इसके शिवा कुछ घटना नहीं हुई। जिसकी रिपोर्ट थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है जिस पर अंगूठा निशान लगा हुआ है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगूठा निशान लगा हुआ है। इस गवाह को शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर यह अस्वीकार किया है कि उसके घर के अंदर उसके पड़ोस का राजेश अंधेरे में आकर खड़ा हो गया, उसने बोला कि कौन खड़ा है राजेश यादव ने उसे एक से पकड़ लिया और बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा एवं चिल्लाने लगी तो मुंह दबा दिया। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि तब तक उसका लडका अभिनाथ दौड़कर आया चिल्लाने लगा, तो राजेश यादव उसे छोड़कर भागने लगा। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0 4 के अ से अ भाग के कथन पुलिस को दिया था।

9- आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेश ने उसके साथ बुरी नियत से सीना नहीं दबाया। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजेश उसके घर के अंदर नहीं घुसा। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आपसी विवाद की रिपोर्ट थाने में की थी। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका बिना

किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में आई साक्ष्य से फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया हो तथा अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग हो, यह स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 456, 354 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10- अभियोजन साक्षी बालकराम (अ0सा02) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुसकर रात्रौ गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्ति की लज्जा भंग करने के आशय से या यह जानते हुये कि लज्जा भंग होगी उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियुक्त राजेश को भा0दं0वि0 की धारा-456, 354 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14- प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0